नेशनल / मेगा लोक अदालत दिनांक 12 दिसंबर—2015, गोहद तहसील न्यायालय गोहद जिला भिण्ड खण्डपीठ कमांक—21

(समक्षः पी०सी०आर्य)

क्लेम प्रकरण कमांकः 17 / 2014 संस्थित दिनांक—20.07.2011 फाइलिंग नं—230303000672011

विनोद कुमार आयु 15 साल पुत्र रामप्रकाश नाबालिग सरपरस्त पिता रामप्रकाश पुत्र बाबूलाल जाति जाटव निवासी पुरानी बस्ती मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..<u>आवेदक</u>

वि रू द्ध

- 1— तेजपालसिंह पुत्र ज्ञानसिंह सिकरवार आयु 20 साल निवासी स्टेट बैंक के पीछे टॉवर के पास मालनपुर
- 2— सुनीलसिंह आयु 24 साल पुत्र इन्द्रपालसिंह जादौन निवासी 72—बी तानसेन नगर पी०एस० हजीरा ग्वालियर म०प्र०

...अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता । अनावेदक कमांक—1 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता। अनावेदक क0—3 द्वारा श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता।

–::– <u>अधि–निर्णय</u> –ः

(आज दिनांक 12/12 /2015 को नेशनल/मेगा लोक अदालत में घोषित)

3ाज इस खण्डपीठ के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण कमांक—17/14 नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रकरण के पक्षकारानगण आवेदक विनोद कुमार एवं अनावेदक क0—1 व 2 तेजपालिसंह एवं सुनीलिसंह के मध्य इस आशय का समझौता हुआ है कि दिनांक 14.06.2011 को सक्षम फैक्ट्री मालनपुर में अनावेदकगण द्वारा आवेदक को जबरन पानी की बोतल की मशीन पर काम करने बैठा दिया जिसका काम करना उसे आता नहीं था और मशीन चालू कर दी जिस कारण आवेदक की दोनों उंगलियाँ मशीन में चली गईं जिससे उंगलियों में गंभीर चोटें आईं। जिसके द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया था। नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य दुर्घटना में पहुंची शारीरिक क्षतियों की पूर्ति बाबत एकमुश्त पांच हजार रूपये में उभयपक्षों

के मध्य स्वेच्छ्यापूर्वक समझौता हो गया है तथा प्रकरण व्यय एवं ब्याज भी नहीं चाहा है। समझौता मुताबिक क्षतिपूर्ति की राशि पांच हजार रूपये अनावेदकगण क्रमांक—1 व 2 ने आज ही आवेदक को अदा भी कर दिये हैं।

- 2. पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत हुआ समझौता विधिसम्मत होकर स्वेच्छ्यापूर्वक किया जाना पाया गया है। आवेदक की पहचान श्री के0पी0राठौर एड0 द्वारा की गई है। तथा अनावेदकगण की पहचान श्री आर0सी0 यादव एड0 ने की जिससे मूल मोटर दुर्घटना दावा की तुष्टि हो जाती है। अतः समझौता विधिसम्मत और स्वेच्छ्यापूर्वक होने से वाद विचार स्वीकार किया जाता है।
- 2. समझौता हो जाने से प्रकरण व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया ।

(पी०सी० आर्य) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0—21 द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(के0पी0 राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ क0—21 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(अवध विहारी पाराशर) (सदस्य) खण्डपीट क0-21 गोहद जिला भिण्ड म०प्र० ATTENDED OF THE PROPERTY OF TH